

सं०सं० 1660-1666 / यूपीसीडा / आईए / K-4 / 1980 Park Banbarky दिनांक 07/10/2020  
Phase-2

### कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 36वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार तत्काल प्रभाव र औद्योगिक उपयोग हेतु वर्तमान में आवंटित/हस्तान्तरित सभी भूखण्डों में आवंटन/हस्तान्तरण पत्र अथवा लीजडीड में अनुमत्य समयसीमा समाप्त होने पर आवंटन द्वारा देय समयविस्तारण शुल्क प्रश्नगत आवंटन पत्र/हस्तान्तरण पत्र/लीजडीड की शर्तों में यदि स्पष्ट रूप र उल्लिखित है, तो तदनुसार देय होगा अन्यथा कार्यालय आदेश संख्या 2043/एसआईडीसी /आईए/पॉलिसी दिनांक 18.12.2018 के बिन्दु संख्या-1 के वर्तमान में प्रचलित अद्यतन प्रावधानों के अनुरूप देय होगा।

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों/परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है वि संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण की उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अपने र सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(मयूर माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ संख्या 1660-1666

/ एसआईडीए / आईए / K-4 / 1980 Park Banbarky - 2 दिनांक 07/10/2020

Enclosure

07/10/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा।
2. वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी कार्यालय, यूपीसीडा।
4. प्रभारी-औ०क्षे०, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. सहायक महाप्रबन्धक(प्र०/सा०), यूपीसीडा, बी०पी०पी०सी० सेल, पिकप भवन, लखनऊ के प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. प्रभारी(कम्प्यूटर), यूपीसीडा को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।

(मयूर माहेश्वरी)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी